

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित अम्बिकापुर

ग्राम केरता जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

पंजीयन क्रमांक-डी.आर./अम्बिकापुर/2121 दिनांक 15 अक्टूबर 2006

स्क्रेप सामाग्री विक्रय हेतु ई-निविदा प्रपत्र

भाग - 2 (तकनीकी भाग)



ग्राम-केरता, तहसील - प्रतापपुर,  
जिला - सूरजपुर (छ0ग0)

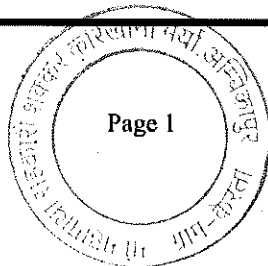
फर्म का नाम व पता

.....  
.....  
.....

दिनांक -

निविदा फर्म जारीकर्ता के हस्ताक्षर  
G.M. Admin)

M.M.S.S.K. Ambikapur



## स्क्रेप सामाग्री विक्रय हेतु निविदा प्रपत्र

ई-निविदा विज्ञप्ति क्रमांक : 1003(9)

दिनांक : 14/10/2026

(नोट: निविदा फार्म तीन भागों में है जिसमें प्रथम भाग को ई0एम0डी0 भाग - एक में रखा जाएगा द्वितीय भाग तकनीकी भाग जिसे भाग - दो में रखा जाएगा और तीसरे भाग को व्यावसायिक भाग जिसे भाग - तीन में ऑनलाईन भरा जावेगा, ई-निविदा में निविदाकारों द्वारा भाग लेने के लिए ई-निविदा की बेब-साईट में जाकर फार्म राशि 1311.00 रुपये (1000.00 रुपये + 311.00 रुपये चिप्स के द्वारा ली जाने वाली सर्विस चार्ज) ऑनलाईन के माध्यम से जमा कर शासकीय बेब-साईट (E-Procurement Portal :- <https://eproc.cgstate.gov.in>) से फार्म Upload किया जाना है प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। किसी फर्म/व्यवसायी के प्रतिनिधि द्वारा निविदा प्रस्तुत किया जाता है, तो इस आशय का अधिकार - पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा)

निविदा प्रपत्र का विक्रय मूल्य : 1000.00 (एक हजार रुपये मात्र)

### 2. तकनीकी भाग (भाग - दो में रखें)

प्रति,

प्रबंध संचालक,

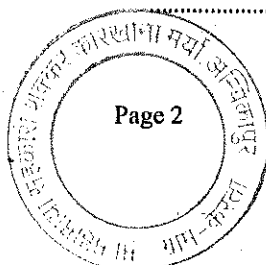
माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना

मर्यादित- अम्बिकापुर

आपके कारखाना द्वारा प्रकाशित ई-निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 1003(9) दिनांक 14/10/2026 व्यावसायिक भाग में (भाग-तीन) दर्शाए अनुसार मात्रा उनके सामने दर्शाए गये मूल्य पर क्रय करने हेतु दर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं/मेरे फर्म द्वारा क्रय/विक्रय/परिवहन/भण्डारण से संबंधित अधिनियमों/नियमों और केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा तत्संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के साथ ही माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित - अम्बिकापुर द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मापदण्डों का पालन करने की सहमति देता हूँ।

### एक - व्यवसायी/फर्म का विवरण -

1. फर्म का नाम एवं पूर्ण पता - .....
2. मालिक/संचालक का नाम .....
3. दूरभाष/मोबाईल नम्बर .....
4. ई-मेल आई.डी. ....
5. पैन नम्बर .....
6. जी.एस.टी. नम्बर .....



## दो – व्यवसायी/फर्म के प्रतिनिधि का विवरण :-

यदि प्रतिनिधि के माध्यम से निविदा प्रस्तुत किया जा रहा हो तो प्रतिनिधि के संबंध में निम्नानुसार विवरण अनिवार्य रूप से दिया जावे –

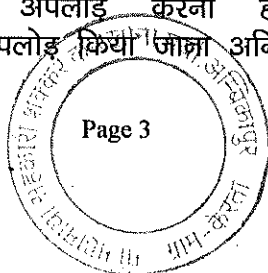
1. प्रतिनिधि का नाम एवं पूर्ण पता – .....  
.....  
.....
2. दूरभाष/मोबाईल नम्बर .....
3. ई-मेल आई.डी. ....
4. पता .....  
.....  
.....

मैं माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित-अम्बिकापुर ग्राम-केरता द्वारा जारी निविदा क्रमांक 1003(9) दिनांक 14/10/2026 के लिए श्री/मेसर्स.....पता..... की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। उक्त फर्म द्वारा मुझे इस कार्य हेतु अधिकृत किया गया है। अधिकार पत्र इस निविदा के तकनीकी भाग में लिफाफा-एक में सलग्न कर रहा हूँ। मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही और सत्य है। मैंने विक्रय से संबंधित नियमों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है। जो मुझे मान्य है। इस निविदा के संबंध में मेरे द्वारा किया गया प्रत्येक कृत्य निविदा से संबंधित फर्म/व्यवसायी, की ओर से किया गया माना जाएगा। किसी प्रकार से गलत पाये जाने पर मैं जिम्मेदार रहूँगा।

निविदाकार/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

## तीन – निविदा का प्रस्तुतीकरण एवं खोलना –

निविदाकार को ई-निविदा प्रस्तुत करने हेतु तीन भाग में अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। प्रथम भाग में ई.एम.डी. की राशि (आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी.) एवं ई0एम0डी0, भाग दुसरे भाग में ई-निविदा की नियम एवं शर्तों के अनुसार 1.उद्योग/फर्म का नाम, 2.जी.एस.टी. प्रमाण पत्र, 3.पैन प्रमाण पत्र, 4.तीन वर्ष का आयकर रिटर्न अथवा तीन वर्ष का बायलेन्स सीट (निरन्तर होना अनिवार्य है।) की छायाप्रति एवं तकनीकी भाग को अपलोड किया जाना होगा। तथा तीसरे भाग में निविदा मात्रा एवं दर संबंधी प्रपत्र अपलोड करना होगा। उक्त भागों में ई-निविदा में <https://eproc.cgstate.gov.in> में अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

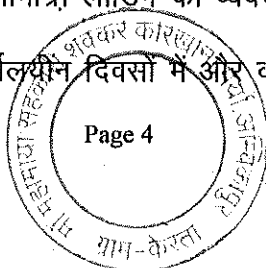


प्रबंध संचालक/उनके द्वारा अधिकृत समिति द्वारा सर्व प्रथम “भाग-एक” ई0एम0डी0 भाग को खोला जावेगा, ई0एम0डी0 राशि जमा पाये जाने पर भाग-दो तकनीकी भाग को खोला जाएगा जिसके तकनीकी भाग सही पाये जाने पर ही “भाग-तीन” व्यावसायिक भाग को खोला जाएगा।

#### चार – निविदा की शर्त :-

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित – अम्बिकापुर से स्क्रेप सामाग्री क्रय करने वाले फर्म/व्यवसायी को नीचे उल्लेखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

1. बिन्दू क्रमांक तीन में उल्लेखित समस्त प्रमाण पत्र की फोटोकापी संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
2. स्क्रेप सामाग्री क्रय करने के लिए भाव पत्र विक्रय हेतु प्रस्तावित सम्पूर्ण मात्रा की होगी एवं इससे कम मात्रा के लिये दर प्रस्तुत होने की स्थिति में निविदा अमान्य किया जाएगा। एवं उल्लेखित यूनिट (मात्रक) के अनुसार दर प्रस्तुत करना होगा अन्य दर मान्य नहीं किया जावेगा। (जैसे किलो में उल्लेख है तो किलो में, नग में उल्लेख है तो नग में आदि)
3. स्क्रेप सामाग्री खरीदी हेतु निविदा फार्म में स्क्रेपवार ही दर प्रस्तुत करना होगा। एक से अधिक दरों पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. निविदा में दर का उल्लेख स्पष्ट रूप से अंको एवं शब्दों में लिखा हुआ होना चाहिए। काट-छोट होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।
5. निविदा फार्म दिनांक 16/10/2026 को समय शाम 07.00 बजे से दिनांक 29/10/2026 को दोपहर 12.00 बजे तक माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित – अम्बिकापुर जिला सूरजपुर छ0ग0 में ई-निविदा में निविदाकारों द्वारा भाग लेने के लिए ई-निविदा बेब-साईट में जाकार फार्म राशि ऑन लाईन के माध्यम से जमा कर शासकीय वेब-साईट <https://eproc.cgstate.gov.in>) से फार्म Upload किया जा सकता है।
6. निविदा दिनांक 29/10/2026 को शाम 04:00 बजे के बाद कारखाना कार्यालय ग्राम केरता में निविदा कमेटी के समक्ष खोला जायेगा जिसमें निविदाकार/उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
7. स्क्रेप सामाग्री का उठाव लगातार करना अनिवार्य होगा, स्क्रेप सामाग्री लेट उठाव से सम्बंधित क्षति को आपको वहन करना होगा।
8. निविदाकार को प्रचलित सभी कर/शुल्क का भुगतान पृथक से करना होगा।
9. निविदाकार को स्क्रेप सामाग्री की डिलवरी स्क्रेप सामाग्री कारखाना परिसर में से ‘जो है जैसा है’ की स्थिति में दी जावेगी। स्क्रेप सामाग्री लोडिंग की व्यवस्था निविदाकार को ही करना होगा।
10. स्क्रेप सामाग्री का उठाव कार्यालयीन दिवसों में और कार्यालयीन समय पर ही किया जा सकेगा।



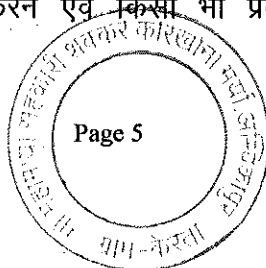
11. वाहनों की मानक लोडिंग क्षमता अनुसार स्क्रेप सामग्री का लोडिंग दिया जावेगा।
12. स्क्रेप सामग्री डिलवरी लेते समय पार्टी स्वयं या अपने प्रतिनिधि के समक्ष गाडी लोड करावें। विक्रय किया हुआ स्क्रेप सामग्री कारखाने से बाहर ले जाने के बाद कारखाने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
13. जिस फर्म के नाम से विक्रय आदेश जारी की जाएगी बिल उसी के नाम से बनेगा।
14. निविदा में उल्लेखित स्क्रेप की मात्रा अनुमानित है। अतः विक्रय आदेश की मात्रा वास्तविक उठाव पश्चात कम/ज्यादा किया जा सकता है।
15. विक्रय आदेश में उल्लेखित मात्रा का उपलब्ध स्क्रेप की सम्पूर्ण मात्रा का उठाव किया जाना होगा।
16. भंडारित स्क्रेप उठाव के समय यदि कोई उपयोगी सामग्री प्राप्त होती है तो उसे संस्था के लिए आरक्षित रखा जावेगा।
17. क्रय की गई संपूर्ण स्क्रेप सामग्री की राशि जमा करने पर ही स्क्रेप सामग्री उठाव कराने दिया जाएगा।
18. क्रय की गई संपूर्ण स्क्रेप सामग्री की राशि जमा एवं उठाव हेतु कार्यादेश में निर्धारित समय में नहीं होने पर ई.एम.डी. राशि जब्त कर ली जायेगी।
19. निविदा में भाग लेने हेतु यदि प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है तो इस आशय का अधिकार पत्र देना अनिवार्य होगा।
20. स्क्रेप सामग्री क्रय हेतु प्रस्ताव कारखाना द्वारा निर्धारित पत्र में प्रत्यक्ष रूप से कारखाना कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित समयानुसार प्रस्तुत करना होगा।
21. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय (सहकारिता विभाग) में ही वाद दायर किया जा सकेगा।
22. इस फर्म की 1 से 21 तक की नियम व शर्तें पूर्णतः समझकर मेरे द्वारा निविदाफार्म में नीचे हस्ताक्षर किया गया।

**पॉच— प्रशासक/प्रबंध संचालक/क्रय-विक्रय समिति का अधिकार —**

प्रशासक/प्रबंध संचालक अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/क्रय-विक्रय समिति को निम्नानुसार अधिकार होगा।

1. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन/निगाशियेशन संबंधी संपूर्ण अधिकार।

D: Scrap Tender Form



2. प्रशासक/प्रबंध संचालक/उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/क्रय-विक्रय समिति की दृष्टि में निविदा निरस्त करने योग्य कोई कारण हो तो किसी भी समय निविदा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में निविदाकार को कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
3. फर्म/व्यवसायी द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करने पर अमानत राशि जप्त करने/अन्य फर्म/व्यवसायी को शेष स्कैप सामाग्री की मात्रा विक्रय करने एवं अन्य समवर्ती सम्पूर्ण अधिकार।
4. किसी भी शर्त को शिथिल करने अथवा कोई अन्य शर्त आरोपित का सम्पूर्ण अधिकार।
5. निविदाकार/क्रेता के द्वारा स्कैप सामाग्री ई-निविदा तथा विक्रय आदेश में दिये गये शर्तों एवं नियम के तहत स्कैप सामाग्री की राशि जमा तथा उठाव निर्धारित समय सीमा में नहीं किये जाने की स्थिति में उक्त फर्म/निविदाकार/क्रेता को ब्लेकलिस्ट करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रशासक/प्रबंध संचालक/क्रय विक्रय समिति की होगी।

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही और सत्य है जिनके गलत पाये जाने पर कारखाना प्रबंधन द्वारा किसी भी स्तर पर निविदा/विक्रय आदेश निरस्त कर सकती है। शककर कारखाना द्वारा स्कैप सामाग्री विक्रय हेतु निर्धारित नियम/शर्त/प्रक्रियाओं को पढ़ और समझ लिया है जो मुझे मान्य है। मेरे द्वारा स्कैप सामाग्री क्रय हेतु निविदा दर लिफाफा-तीन व्यावसायिक भाग पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिनांक ..... / ..... / 2026

निविदाकार/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

नाम .....